उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1
संख्या:-137/ 1478/2018/14-1-2018-19-93/2004टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री के0 वी0 लक्ष्मणमूर्ति भा0व0से0 (उ0प्र0 1985) को उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने की स्थिति में उनसे कनिष्ठ श्री सी0पी0 गोयल, भा0व0से0(उ0प्र0-1986) को वन संरक्षक के पद पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या:798/14-1-2005-19/93-2004, दिनांक 18-03-2005 से दी गयी पदोन्नति की तिथि से वन संरक्षक के पद पर प्रदत्त नोशनल पदोन्नति के संबंध में निर्गत आदेश संख्या:-1950/14-1-2015-19-93/2004टी0सी0, दिनांक 03-03-2016 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

2- श्री के0वी0 लक्ष्मणमूर्ति के प्रार्थना पत्र दिनांक 22-12-2017 में उनके द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा श्री के0वी0 लक्ष्मणमूर्ति भा0व0से0 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को, उनसे कनिष्ठ श्री सी0 पी0 गोयल, भा0व0से0(उ0प्र0-1986) को वन संरक्षक के पद पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या:-798/14-1-2005-19/93-2004टीसी, दिनांक 18-03-2005 से दी गयी पदोन्नति की तिथि से, वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: - 137/ 1478/2018 (1)/14-1-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- प्रधान मुख्य संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, 6ठा तल, पृथ्वी ब्लाक, जोरबाग रोड अलीगंज, नई दिल्ली।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5- श्री के0 वी0 लक्ष्मणमूर्ति, भा0व0से0(से0नि0) द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।